रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33002/99 | भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA | REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 59] दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 3, 2007/चैत्र 13, 1929 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 002
No. 59] DELHI, TUESDAY, APRIL 3, 2007/CHAITRA 13, 1929 [N.C.T.D. No. 002

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

योजना विभाग

(कैडर नियंत्रक एकक)

अधिसूचना

दिल्ली, 3 अप्रैल, 2007

सं. फा. 9(17)/आर.आर.-एस.ए./2006/सीसी/योजना/2581.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना संख्या फा. 24/78/68-डीएच(एस) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल :–

(1) इस सरकार के अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयों/विभागों में सांख्यिकी सहायक/निरीक्षक के पद पर नियुक्ति के लिये आवश्यक भर्ती पद्धति तथा योग्यताओं के संबंध में इसके साथ संलग्न अनुसूची में नियम बनाते हैं; तथा

(2) दिनांक 3-3-1978 की अधिसूचना संख्या फाईल 2 (63)/77-सेवा-2 के अनुसार अधिसूचित तथा दिनांक 28-8-1984 की अधिसूचना सं. फा. 2(6)(ii)/81-सेवा-2 तथा इसके दिनांक 28-11-1984 सं. फा. 2(63)/77-सेवा-2, दिनांक 21-3-1995 की फा. 9(5)/91-योजना, अधिसूचित अनुवर्ती संशोधनों के अनुसार इस सरकार के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में (1) सांख्यिकी सहायक/निरीक्षक तथा (2) सांख्यिकी अन्वेषक/कम्प्यूटर/प्रगति सहायक/अनुसंधान अन्वेषक के पद के भर्ती नियम निरस्त करते हैं।

Joint Director (Admn.)
Planning Department
Govt. of NCT of Delhi

अनुसूची

योजना विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में सांख्यिकी सहायक/निरीक्षक के पद के भर्ती नियम :–

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन मैरिट के आधार पर है या चयन एवं वरिष्ठता या गैर चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
सांख्यिकी सहायक/निरीक्षक	*452 *(2006) इसमें परिवर्तन कार्य-भार पर निर्भर	वर्ग "ग" अराजपत्रित अलिपिकीय	5000-150-8000	लागू नहीं	27 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय)

क्या जोड़े गये सेवा वर्षों का लाभ ग्राह्य है	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
7	8	9	10
लागू नहीं	**अनिवार्य :–** सांख्यिकी/प्रकार्यात्मक अनुसंधान/गणितीय सांख्यिकी/अनुप्रयुक्त सांख्यिकी स्नातकोत्तर उपाधि अथवा अर्थशास्त्र/गणित/वाणिज्यि (डिग्री स्तर पर सांख्यिकी एक विषय के रूप में) में स्नातकोत्तर उपाधि **वांछनीय :** कम्प्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान।	लागू नहीं	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है
11	12
शत-प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं

यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है
13	14
लागू नहीं	लागू नहीं

Atw

Hn Meen

Joint Director (Admn.)
Planning Department
Govt. of NCT of Delhi

टिप्पणियां :–

1. अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के मामले में सीधी भर्ती के लिये आयु-सीमा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सामान्य आदेशों के अनुसार शिथिलनीय होंगी।
2. इन नियमों की किसी भी बात का केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये अपेक्षित आरक्षणों और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
3. कोई भी पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं या कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है, जिसकी पहले से जीवित पत्नी है, सीधी भर्ती के मामले में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगी/होगा। परन्तु दिल्ली के प्रशासक इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि क्या ऐसा करने के लिये विशेष आधार है, किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेंगे।
4. जहां प्रशासक का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों/पदों को किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।
5. भर्ती नियमों के कॉलम 6 में उल्लिखित आयु-सीमा निर्धारित करने के लिये मान्य तारीख प्रत्येक मामले में भारत में रह रहे (अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के अलावा) उम्मीदवारों से आवेदनों की प्राप्ति के लिये अंतिम तारीख होगी। ऐसे पदों के संबंध में जिनके लिये नियुक्तियां दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से की जाती है, आयु-सीमा निर्धारित करने के लिये मान्य तारीख प्रत्येक मामले में वह अन्तिम तारीख होगी जिस तिथि तक दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड से नाम प्रस्तुत करने के लिये आग्रह किया जाता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल के
आदेश से तथा उनके नाम पर,
एल. एन. मीणा, संयुक्त निदेशक (योजना)

PLANNING DEPARTMENT

(Cadre Controlling Unit)

NOTIFICATION

Delhi, the 3rd April, 2007

No. F. 9(17)/R.R.-S.A./2006-CC/Plg./2581.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. F. 24/78/68-DH(S) dated 24-9-1968, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to :—

(i) make the rules in the schedule annexed hereto regarding the method of recruitment and qualification necessary for appointment to the post of Statistical Assistants/Inspector in various offices/departments under this Government; and

(ii) cancel the recruitment rules for the post of (1) Statistical Assistant/Inspector and (2) Statistical Investigator/Computer/Progressive Assistant/Research Investigator in various Offices/Departments under this Government, notified vide Notification No. F. 2(63)/77-S. II dated 03-03-1978 and its subsequent amendments notified vide Notification Nos. F. 2(6)(ii)/81-S II dated 28-08-1984 and F. 2(63)/77-S II dated 28-11-1984, F. 9(5)/91-Plg. dated 21-3-1995.

SCHEDULE

Annexure-I

Recruitment Rules for the post of Statistical Assistant/Statistical Inspector Planning Department, Govt. of NCT of Delhi

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection Post	Age limit for Direct Recruits
1	2	3	4	5	6
Statistical Assistant/ Statistical Inspector	452* *(2006) subject to variation dependent on work load	Group "C" Non-Gazetted Non-Ministerial	5000-150-8000	N.A.	Not exceeding 27 years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

Joint Director (Admn.)
Planning Department
Govt of NCT of Delhi

Whether benefits of added yrs. of service admissible	Educational & other qualification required for Direct Recruits	Whether age & EQ prescribed for Direct Recruits will apply in the case of Promotees	Period of Probation, if any
7	8	9	10
N.A.	**Essential :** Post Graduate Degree in Statistics/Operational Research/Mathematical Statistics/Applied Statistics or Post Graduate Degree in Economics/Mathematics/Commerce (with Statistics as one of subject/papers at Degree level.). **Desirable :** Working knowledge of Computers.	N.A.	Two years

Method of Rectt. whether by Direct Rectt. or by Promotion or by Deputation/Absorption & % of the posts to be filled by various methods	In case of rectt. by Promotion/Deputation/Absorption Grades from which Promotion/Deputation/Absorption to be made
11	12
100% by Direct Recruitment	N.A.

If a DPC exists what is its Composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making rectt.
13	14
N.A.	N.A.

Notes :—

1. The Age limit for direct recruitment will be relaxable in the case of SC/ST candidates and other special categories of persons in accordance with the general orders issued from time to time by the Central Govt.
2. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for SC and ST and other special categories of persons in accordance with the orders issued by Central Govt. from time to time in this regard.
3. No male candidate who has more than one wife living or no female candidate who has married a persons already having a wife living shall be eligible for appointment in case of direct recruitment provided that the Administrator Delhi may after being satisfied that there are special grounds for doing so; exempt any such candidate from the operation of this rule.
4. Where the Administrator is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of the rules with respect to a class or category of persons/posts.
5. The crucial date for determining the age limit mentioned in column 6 of the Recruitment Rules will in each case be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than Andaman & Nicobar Island, Lakshadveep). In respect of posts, the appointments to which are made through the Delhi Subordinate Service Selection Board the crucial date for determining the age limit will, in each case, be the last date upto which the Delhi Subordinate Service Selection Board have asked to submit the names.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital
Territory of Delhi,
L. N. MEENA, Jt. Director (Plg.)

वित्त (स्था. व कर) विभाग

आदेश

दिल्ली, 3 अप्रैल, 2007

सं. फा. 5(98)/वित्त (स्था. व कर)/2006-07/डी.एस.एफ.टी.ई./230.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 22 जुलाई, 1961 की अधिसूचना का.आ. 1726 सं. फा. 2/5/61-न्याय-II के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सिल्वर स्टोन डवलर्प प्रा. लि., ग्यारहवी मंजिल, नरेन मंजिल, 23 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किये जाने वाले रुपये 17,00,06,400 (रुपये सत्रह करोड़ छ: हजार चार सौ केवल) मूल्य के शेयरों जिनकी पृथक संख्या 22229981 से 30730300 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 1,70,006 (रुपये एक लाख सत्तर हजार छ: केवल) के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

FINANCE (TAXES AND ESTABLISHMENT) DEPARTMENT

ORDERS

Delhi, the 3rd April, 2007

No. F. 5(98)/Fin. (T&E)/2006-07/DSFTE/230.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, S.O. 1726 Notification No. F. 2/5/61-Judl. II, dated the 22nd July, 1961 the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby directs that M/s. Silver Stone Developers Private Limited, 11th Floor, Narain Manzil, 23 Barakhamba Road, New Delhi-110001, shall pay a consolidated Stamp duty of Rs. 1,70,006 (Rupees One Lakh Seventy Thousand and Six only) on the value of shares of Rs. 17,00,06,400 (Rupees Seventeen Crore Six Thousand and Four Hundred only) for share certificates with distinctive Nos. 22229981 to 30730300 respectively to be issued by the said Company.

सं. फा. 5(93)/वित्त (स्था. व कर)/2006-07/डी.एस.एफ.टी.ई./231.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 22 जुलाई, 1961 की अधिसूचना का.आ. 1726 सं. फा. 2/5/61-न्याय-II के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल निर्देश देते हैं कि सर्वश्री जी. पी. रिलेटर्स प्रा. लि., 5, धनराज चैम्बर्स, पहली मंजिल, सतबारी, नई दिल्ली-110074 द्वारा जारी किये जाने वाले रुपये 17,84,40,000 (रुपये सत्रह करोड़ चौरासी लाख चालीस हजार केवल) मूल्य के शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10001 से 17854000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 1,78,440 (रुपये एक लाख अठहत्तर हजार चार सौ चालीस केवल) के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

अजय कुमार गर्ग, उप सचिव

No. F. 5(93)/Fin. (T&E)/2006-07/DSFTE/231.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, S.O. 1726 Notification No. F. 2/5/61-Judl. II, dated the 22nd July, 1961 the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby directs that M/s. G.P. Realtors Private Limited, 5, Dhanraj Chambers, 1st Floor, Satbari, Delhi-110074, shall pay a consolidated Stamp Duty of Rs. 1,78,440 (Rupees One Lakh Seventy Eight Thousand Four Hundred and Forty only) on the value of shares of Rs. 17,84,40,000 (Rupees Seventeen Crore Eighty Four Lakh and Forty Thousand only) for share certificates with distinctive Nos. 10001 to 17854000 respectively to be issued by the said Company.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

AJAY KUMAR GARG, Dy. Secy.

Joint Director (Admn.)
Planning Department

1960DG/07-2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.